राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : राप्राशिप / जय / 2018–19 / 5759 दिनांक : 30/8/18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय : राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016(संशोधित) लेवल द्वितीय गैर अनुसुचित क्षेत्र एवं अनुसुचित क्षेत्र के चयन रिशफल के उपरान्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन / नियुक्तियों के संबंध में शाला दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही संबंधित दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– विशिष्ट शासन सचिव प्राशि एव पंराज (प्राशि) के पत्रांक प.2(5) / शिक्षा–1 / प्राशि / 2003पार्ट दिनांक 21.08.2018 एवं निदेशक, प्रार.शिक्षा के दिनांक 23.08.2018 एवं 27.08.2018 के संदर्भ में।

महोदय

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016(संशोधित) लेवल द्वितीय गैर अनुसुचित क्षेत्र एवं अनुसुचित क्षेत्र के चयन रिशफल के उपरान्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन / नियुक्तियों के संबंध में संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के कम में शाला दर्शन पोर्टल पर करणीय कार्यवाही निम्नानुसार है –

1. सीधी भर्ती से पदस्थापित / अधिशेष / अप्रदर्शित / 3बी के ऐसे अभ्यर्थी / कार्मिक जिन्होने काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित / समायोजित विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है लेकिन उनके कार्यग्रहण की शाला दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि अभी तक नहीं की गई है, उनकी ऑनलाइन कार्यग्रहण प्रविष्टि 31.08.2018 तक आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा स्थानान्तरित सभी कार्मिकों की शाला दर्शन पोर्टल से कार्यमुक्ति दिनांक 31.08.2018 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा स्थानान्तरित कार्मिकों की स्थानान्तरण आदेशों में अंकित शर्तो की पालना के पश्चात नवीन पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण की शाला दर्शन पोर्टल पर प्रविष्टि दिनांक 31.08.2018 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

4. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 लेवल द्वितीय गैर अनुसुचित क्षेत्र एवं अनुसुचित क्षेत्र के पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण किया जा चुका है ऐसे अभ्यर्थियों के चयन रिशफल के उपरान्त जिला आवटंन से जिला परिवर्तित होने पर उन्हे शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से नवीन आवंटित जिले हेतु दिनांक 01.09.2018 तक अनिवार्यतः कार्यमुक्त करवाये जाने के लिए करणीय कार्यवाही निम्नानुसार है –

a. संबंधित पीईईओ/बीईईओ द्वारा शाला दर्शन पोर्टल पर "शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से उच्च/समान पद पर चयन होने पर" विकल्प का चयन करके विद्यालय/कार्यालय(जहाँ के लिए कार्यमुक्त किया गया है) का विवरण के " कार्यालय" विकल्प का चयन करना है जिसमें Office Name में DEO (Elementary) का चयन करना है साथ ही Office Address में वर्तमान पदस्थापित जिलें का नाम लिखते हुए कार्मिक कों कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी कार्मिक को कार्यमुक्त किया जा चुका तो संबंधित पीईईओ/बीईईओ द्वारा Update Reliving मॉड्यूल की सहायता से उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यमुक्ति अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।

b. कार्यमुक्ति रिपोर्ट संबंधित कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करनी है। जिस पर वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रति हस्ताक्षर करते हुए कार्मिक को नव आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही शाला दर्शन पोर्टल के जिला लॉगिन पर टीचर मेन्यू में उपलब्ध मॉड्यूल "समान सीधी भर्ती में नव आवंटित जिले के लिए कार्मिक को कार्यमुक्त करें।" के द्वारा नव आवंटित जिलें के लिए अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

c. पूर्व आवंटित जिले से कार्यमुक्त किये जाने के बाद नव आवंटित जिले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण करवाया जाकर इसका सुसंगत अभिलेख संधारित करवाते हुए शाला दर्शन पोर्टल पर जिला लॉगिन पर टीचर मेन्यू में उपलब्ध मॉड्यूल "समान सीधी भर्ती में पूर्व आवंटित जिले से कार्यमुक्त कार्मिक की नव आवंटित जिले के DEO में कार्यग्रहण प्रविष्टि करें।" द्वारा नव आवंटित जिलें में कार्यग्रहण की तिथि अंकित कर सेव करें।

d. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग करवाई जा चुकी है तथा वर्तमान तक नियुक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है ऐसे अभ्यर्थियों में से चयन रिशफल उपरान्त जिला आवंटन से जिला परिवर्तित होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की

 www.rajteachers.com

पात्रता नव आंवटित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही काउंसलिंग करवायी जानी है। ऐसे अभ्यर्थियों की पूर्व आवंटित जिलें में काउंसलिंग से संबंधित शेष रही प्रकिया शाला दर्शन पर सम्पन्न नही की जानी है।

नोट –यदि किसी कार्मिक की शाला दर्शन पोर्टल पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की ऑनलाइन प्रविष्टि करवाये जाने में तकनिकी असुविधा हो रही है तो संबंधित तकनिकी असुविधा का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव अविलम्ब शाला दर्शन प्रकोष्ठ, जयपुर को मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – संदर्भित पत्र की प्रति।

(आभा बेनिवाल)
उपायुक्त–।।।

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2016–17 /5760 दिनांक : 30/8/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव प्राशि एव पंराज (प्राशि) ,शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं. रा (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिलें।
7. समस्त पीईईओ/बीईईओ ।
8. रक्षित पत्रावली।

(आभा बेनिवाल)
उपायुक्त–।।।

www.rajteachers.com